[2023] 11 एस.सी.आर 583 : 2023 आई.एन.एस.सी. 806

वाद विवरण

हरेंद्र राय

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2015 की आपराधिक अपील संख्या 1726)

01 सितंबर, 2023

[संजय किशन कौल, अभय एस. ओका और विक्रम नाथ, न्यायमुर्तिगण]

निर्णय-सार

विचार के लिए मुद्दा: हत्या के एक मामले में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया गया है, और उत्तरदाता संख्या 2 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 302 और 307 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया है। अब विचारणीय मुद्दा उत्तरदाता संख्या 2 पर लगाई जाने वाली सजा है।

सजा/दंड – हत्या – पूर्व निर्णय के अनुसार दोषसिद्धि ([2023] 11 एस.सी.आर. 403) – तथ्यों के आधार पर मृत्युदंड उचित नहीं है, और इसलिए आजीवन कारावास के साथ जुर्माना लगाया गया – हालांकि, जुर्माना क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किया जाना है – साथ ही, धारा 357-ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुआवजा दिया गया – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 357(सी) और 357ए – दंड संहिता, 1860 – धारा 302 और 307।

अभिनिर्धारित: मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि घटना वर्ष 1995 की है, जो लगभग 28 वर्ष पुरानी है, मृत्युदंड देना उचित नहीं होगा और इसलिए उत्तरदाता संख्या 2 को धारा 302 भारतीय दंड

संहिता के तहत आजीवन कारावास के साथ 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता संख्या 2 को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 में प्रावधान है कि जब भी जुर्माने को सजा के रूप में लगाया जाता है, न्यायालय निर्णय सुनाते समय, वसीयत किए गए जुर्माने के पूरे या आंशिक भाग को उपधारा (1) के खंड (क) से (घ) के अनुसार उपयोग करने का आदेश दे सकता है। खंड (क) अभियोजन में हुए खर्चों की पूर्ति के लिए प्रावधान करता है। यह न्यायालय राज्य को ऐसे किसी भी व्यय को देने के लिए इच्छुक नहीं है, यह देखते हुए कि राज्य ने वास्तव में मामले की निष्पक्ष रूप से पैरवी नहीं की, बल्कि पूरे समय अभियुक्तों की सहायता की। खंड (ख) और (घ) भी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नहीं आएंगे, हालांकि, खंड (ग) के तहत उत्तरदाता संख्या 2 के आचरण को ध्यान में रखते हुए, पीड़ित के परिवार, दोनों मृतकों और घायलों द्वारा झेली गई मानसिक, शारीरिक और वित्तीय क्षति को देखते हुए, दिए गए जुर्माने को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाए। राज्य के आचरण और पीड़ित के परिवार द्वारा झेले गए आघात और उत्पीड़न की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, धारा 357 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दी गई क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त, धारा 357-ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए।[कंडिकायें 5,6 और 7]

अन्य वादों के विवरण जिनमें आक्षेपित आदेश और उपस्थितियाँ शामिल हैं

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: 2015 की आपराधिक अपील संख्या 1726 ।

2009 के सी.आर.आर.पी. संख्या 1345 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांकित 02.12.2011 के निर्णय और आदेश से।

उपस्थितियाँ:

अभय कुमार, शगुन रुहिल, रजत खत्री, सुश्री कुसुम पांडे, सौरभ मिश्रा, सुश्री नीतू जैन गौतम, सुश्री नीतू जैन, सुश्री अनामिका, अपीलकर्तओं के लिए अधिवक्ता।

आर. बसंत, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता;, देवाशीष भारुका, सुश्री सर्वश्री, शोभित द्विवेदी, सुश्री स्वाति मिश्रा, नीरज शेखर, सनी चौधरी, मनोज कुमार, सुश्री निशी कश्यप, शशि भूषण सिंह, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश

निर्णय

विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति

1. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 को बरी किए जाने के फैसले को 18 अगस्त, 2023 के फैसले द्वारा पलट दिया गया और उत्तरदाता संख्या 2 को भारतीय दंड संहिता, 1860[1] की धारा 302 और 307 के तहत दोषी ठहराया गया। उसी आदेश द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 को हिरासत में लेने और आज उसे सजा पर सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया गया।

2. उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा आपराधिक शिकायत याचिका संख्या 169246/2023 दायर की गई थी, जिसमें उनकी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि वे पहले से ही एक अन्य हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, उन्हें आभासी रूप से उपस्थित होने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। आपराधिक शिकायत याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाता संख्या 2 जेल से आभासी रूप से उपस्थित हैं और उनके अधिवक्ता द्वारा विधिवत प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।

3. हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा हमारे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विचार करते हुए, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि घटना वर्ष 1995 की है, लगभग 28 वर्ष पुरानी, मृत्युदंड देना उचित नहीं होगा और इसलिए हम उत्तरदाता संख्या 2 को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास और 20 लाख रुपये का

---

1 भारतीय दंड संहिता

जुर्माना सुनाते हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता संख्या 2 को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया जाता है। जुर्माने का वितरण थोड़ी देर बाद बताया जाएगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

5. उपरोक्त उल्लिखित राशि का जुर्माना मामले के चौंकाने वाले तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है, जिन पर विस्तार से विचार किया गया है और दिनांक 18 अगस्त, 2023 के फैसले में निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं।

6. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973[2] की धारा 357 में प्रावधान है कि जब भी जुर्माने को सजा के रूप में लगाया जाता है, तो न्यायालय निर्णय देते समय, वसूल किए गए जुर्माने के पूरे या आंशिक भाग को धारा (1) के खंड (क) से (घ) के अनुसार लागू करने का आदेश दे सकता है। खंड (क) में अभियोजन में हुए खर्चों की पूर्ति का प्रावधान है। हम राज्य को ऐसे कोई खर्च देने के इच्छुक नहीं हैं, यह देखते हुए कि राज्य ने वास्तव में मामले का निष्पक्ष रूप से अभियोजन नहीं किया, बल्कि पूरे समय आरोपी की सहायता की। खंड (ख) और (घ) भी लागू नहीं होंगे, हालांकि, खंड (ग) के तहत आरोपी संख्या 2 के आचरण, साथ ही पीड़ित परिवार, दोनों मृतकों और घायलों द्वारा झेली गई मानसिक, शारीरिक और वित्तीय क्षति को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि दिए गए जुर्माने को निम्नलिखित तरीके से क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाए:

> क) हम मृतक राजेंद्र राय और दारोगा राय के कानूनी वारिसों को 10 लाख रुपये प्रत्येक का हर्जाना देते हैं। विचारण न्यायालय दोनों मृतकों के कानूनी वारिसों के संबंध में प्रारंभिक जाँच कराएगी और उत्तराधिकार कानून के अनुसार राशि कानूनी वारिसों को वितरित की जाएगी।
>
> ख) इसी प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत लगाए गए जुर्माने की राशि 5 लाख रुपये को विचारण न्यायालय द्वारा पीड़ित को उसी प्रकार

---

2 दंड प्रक्रिया संहिता

वितरित किया जाएगा यदि वह जीवित है और यदि नहीं, तो उसके कानूनी वारिसों को।

7. दिनांक 18 अगस्त, 2023 के फैसले में राज्य के आचरण और पीड़ित परिवार द्वारा झेली गई पीड़ा और उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह मत है कि धारा 357 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए हर्जाने के अतिरिक्त धारा 357-ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। बिहार राज्य दोनों मृतकों और घायल (यदि जीवित हो) के कानूनी वारिसों को उपरोक्त जुर्माने के बराबर राशि का मुआवजा देगा, अर्थात् मृतक राजेंद्र राय और दारोगा राय के कानूनी वारिसों को 10 लाख रुपये और घायल श्रीमती देवी या उनके कानूनी वारिसों को 5 लाख रुपये, जैसा भी मामला हो। इस प्रकार जमा की गई राशि का वितरण उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि धारा 357 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत हर्जाने के वितरण के लिए ऊपर निर्धारित किया गया है।

8. उपरोक्त निर्धारित जुर्माने और मुआवजे की राशि आज से दो महीने के भीतर विचारण नयायालय में जमा की जानी चाहिए, अन्यथा इसे विचारण नयायालय द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा। अपील उपरोक्त अनुसार निपटा दी गई है।

9. विचारण नयायालय द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन चार महीने के भीतर इस न्यायालय को प्रस्तुत की जानी है। यदि अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाती है, तो निबंधन उसे प्रसारित करेगी, और यदि निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो मामले को कार्यालय प्रतिवेदन के साथ निर्देशों के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।

निर्णय-सार लेखनः
बिभूति भूषण बोस

अपील का निपटारा किया गया।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।